उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या- 63/सीपी 593/84-2-2014-सीपी 6/2013

लखनऊ : दिनांक : 17 जुलाई ,2014

कार्यालय ज्ञाप

श्री खलील अहमद पुत्र स्व0 हसन रजा, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, मोहल्ला घरे आजम खां, जिला रामपुर की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-67/सीपी 402/84-2-2013-सीपी 6/2013, दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी। श्री खलील अहमद द्वारा अपने पद पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया था।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-792/एससीडीआरसी/अधि 69/13, दिनांक 05 जून, 2014 द्वारा श्री खलील अहमद, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ के पत्र दिनांक 02 जून, 2014 की मूल प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि श्री खलील अहमद द्वारा किन्ही कारणों से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है। निबन्धक, राज्य आयोग द्वारा श्री खलील अहमद, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ का त्यागपत्र दिनांक 02 जून, 2014 से स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद से श्री खलील अहमद द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 02 जून, 2014 की पूर्वान्ह से स्वीकार करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

बी0 एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-63/सीपी 593(1)/84-2-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, आजमगढ ।
(3) कोषाधिकारी, आजमगढ ।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री खलील अहमद पुत्र स्व0 हसन रजा, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, मोहल्ला घरे आजम खां, जिला रामपुर।

आज्ञा से,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in